Corporation or by the Government of India?

SHRI D. K. BOROOAH: No decision has been taken. Certainly the decision will not be taken by the Toyo Engineering Corporation but by Engineers India Ltd. and the Government of India, which is more or less the same thing.

श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या यह सत्य है कि राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में एक उवरक का कारखाना स्थापित करने के लिये एक कमेटी बनी थी और उसकी सिफारिशों पर हमारे गंगानगर में उर्वरक कारखाना खोलना था ।

अध्यक्ष महोदय इसको फिर देखेंगे ।

श्री पन्नालाल बारूपाल : अध्यक्ष महोदय वहां हजारों एकड़ भमि जमीन किसानों से लेकर बेकार पड़ी हुई है पानी भी है दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन हमारे जिले की उपेक्षा की जा रही है । क्या गंगानगर को कोई कारखाना देने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

MR. SPEAKER: I am sorry; this is not at all relevant.

भारतीय संविधान का प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करना

*6. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद तैयार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). भारत के संविधान का हिन्दी में अद्यतन अनुवाद तैयार कर लिया गया है । हिन्दी में संविधान के प्राधिकृत अनुवाद के प्रकाशन की व्यवस्था करने के लिये संसद् में विधान अधिनियमित करना होगा । आवश्यक विधान अधिनियमित करने का प्रश्न विचाराधीन है । हिन्दी में संविधान का प्राधिकृत अनुवाद आवश्यक विधान के अधिनियमित करने के पश्चात् ही प्रकाशित किया जा सकता है ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मान्यवर, इसके पहले ही राष्ट्रभाषा हिन्दी या राज्य भाषा हिन्दी में संविधान का आधिकारिक अनुवाद था । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि संविधान का हिन्दी रूपान्तर संविधान सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से भारत सरकार के राजप मे 26 जनवरी, 1950 को प्रकाशित हुआ था । उसके बाद ऐसी क्या आवश्यकता आ गई है कि इसको नही मानकर फिर से अनुवाद की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : यह प्रश्न नही है कि जो अनुवाद हुआ था उस को माना नही जाता है । वास्तविकता यह है कि भारत के संविधान का विद्यमान हिन्दी अनुवाद 17 दिसम्बर, 1949 को संविधान में रखे गये निम्नलिखित प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा के अध्यक्ष के प्राधिकार मे प्रकाशित किया गया था—

> "प्रस्ताव किया जाता है कि अध्यक्ष को संविधान का हिन्दी में अनुवाद तैयार कराने और 26 जनवरी, 1950 से पूर्व अपने प्राधिकार के अधीन उसे प्रकाशित कराने के

लिये आवश्यक कार्यवाही करने तथा भारत की ऐसी मुख्य भाषाओं में भी, जिन्हें वह उचित समझे, संविधान का अनुवाद तैयार और प्रकाशित करने के लिये प्रबन्ध करने के वास्ते प्राधिकृत किया जाय।"

इस प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 1950 को संविधान का एक हिन्दी अनुवाद उनके सामने रखा गया जिसके ऊपर हस्ताक्षर हुये। प्रश्न यह है कि क्या यह अनुवाद प्राधिकृत है अथवा नहीं—इसी बात पर विचार चल रहा है। एटार्नी जनरल से राय ली गई लेकिन हिन्दी सलाहकार समिति को उससे सन्तोष नहीं हुआ और उसने यह निर्णय लिया कि इस के ऊपर दो और लोगों की राय ली जाये। श्री सीतलवाद और इलाहाबाद के श्री के० एल० मिश्र की राय ली गई है। एक साहब की राय आ गयी है और दूसरे साहब की राय अभी नहीं आई है।

श्री शंकर दयाल सिंह यह खुशी की बात है कि मन्त्री महोदय ने बहुत विस्तार-पूर्वक जवाब दिया लेकिन जवाब में सवाल को और उलझा दिया। प्रश्न यह है कि जब हमारे पास अधिकारिक हिन्दी अनुवाद था जिसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था तो फिर उसको क्यों नहीं अधिकारिक मानते हैं? दूसरी बात यह है कि जिन व्यक्तियों की राय मांगी गयी है तो क्या फिर हिन्दी अंग्रेजी में अनुवाद करने की बात सोची जा रही है? तीसरे क्या सरकार निश्चित तिथि निर्धारित करेगी जब हिन्दी अनुवाद को इस सदन में स्वीकृति के लिये रखेगी? इन बातों के मैं जवाब चाहता हूं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी अनुवाद सामने है। ऐसा नहीं है कि अनुवाद करने का सवाल हो। प्रश्न यह है कि अनुवाद क्या है? वह प्राधिकृत है या केवल अनुवाद है—इस बात के ऊपर विचार के लिये जैसा मैंने कहा, हिन्दी सलाहकार समिति विचार कर रही है। उसने दो व्यक्तियों श्री सीतलवाद और श्री के० एल० मिश्र की राय मांगी है। श्री सीतलवाद की राय आ गई है और श्री के० एल० मिश्र की राय अभी नहीं आई है। इसके बाद हिन्दी समिति के सामने बात आ जायेगी (व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह यदि वह अनुवाद आधिकारिक है तो किस लिए राय मांग रहे है? जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे उस पर भी आपको आपत्ति है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हिन्दी से बना था और उस पर संविधान परिषद् के सदस्यों और सर्वमान्य अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न यह है उसको प्राधिकृत क्यों नहीं माना जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं वकीलों की राय लेने से पहले विधि मंत्रालय ने अपनी राय तय की है? क्या वह सच नहीं है कि इस मामले पर राय देने वाले अलग अलग वकील मिल सकते है, बाजार में जितने चाहे प्राप्त कर सकते है? क्या विधि मंत्रालय यह निर्णय नहीं ले सकता है कि वह अनुवाद प्राधिकृत है और किसी की राय लेने की आवश्यकता नहीं है, वह अनुवाद मान्य होगा वही चलेगा—क्या कठिनाई है यह निर्णय लेने में।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी जो संविधान तैयार हुआ था वह हिन्दी में नहीं, अंग्रेजी में तैयार हुआ था। उसके ऊपर 17 दिसम्बर को निश्चय हुआ कि हिन्दी में एक अनुवाद आये, 25 जनवरी को अनुवाद आया। यदि संविधान सभा ने वह प्रस्ताव कर दिया होता कि यह प्राधिकृत है तो यह बात नहीं उठती लेकिन दुर्भाग्य से संविधान सभा ने यह नहीं किया। वह आया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। वह प्राधिकृत है अथवा नहीं, इसके ऊपर बात चल रही है और

जल्दी से जल्दी निर्णय लेने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विधि मंत्रालय की क्या राय है इस मामले मे ? ....(व्यवधान).....मेरे प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिला ।

क्या विधि मत्रालय मे इस प्रश्न पर मतभेद है जिसमे बाहर के लोगो की राय ली जा रही है ? विधि मंत्रालय कहां खड़ा है इस मामले में ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : एटार्नी जनरल से राय ली थी और उन्होने राय दी कि यह प्राधिकृत नही है । हम उससे सहमत नही हुए इसलिए दो लोगों की राय ली जा रही है ।.....(व्यवधान)

श्री डी० एन० तिवारी : क्या उस समय के अध्यक्ष ने यह कभी कहा कि हिन्दी का अनुवाद ठीक नही है और इसके ऊपर भी अनुवाद होना चाहिए ? यदि ऐसा नही है और यदि ऐसी बात थी कि अधिकृत अनुवाद नही है तो फिर उसपर मेम्बरों के हस्ताक्षर कैसे हुए ? यदि हस्ताक्षर हो गए तो फिर उसको अधिकृत मानने में कौन सी दिक्कत है ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैंने यह नही कहा कि हिन्दी अनुवाद अधिकृत है या अनधिकृत है । ..(व्यवधान)..... किसी ने यह बात नहीं कही.....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा कन्ट्रोवर्शल मैटर है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : श्रीमान् मेरा पूरक प्रश्न यह है कि इसमें जिन साहबान से अभी पूछा गया है उनसे कम बड़े विधि और कानून के विशेषज्ञ नहीं थे जब विधि निर्माता परिषद बनी थी और उनके भी उसपर हस्ताक्षर हुए हैं तो फिर दो एक साहबान से पूछ कर उसको प्राधिकृत मानना और उन लोगों के हस्ताक्षर को प्राधिकृत नहीं मानना, यह कैसी सगत बात है यह मेरी समझ में नहीं आता । मत्री महोदय इस बात की सफाई करें ।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): I understand that there is a strong feeling expressed by some hon. Members that the translation which had been signed by Members of the Constituent Assembly should receive its due recognition. The question arises in two ways; it was posed in two ways. One was whether this translation which was, by the Constituent Assembly as such, as a body, not accepted as authorised translation but was signed by all the Members, can be regarded as an authorised text of the Constitution. The other part of the question is whether it can be regarded as authorised translation of the Constitution. It is not necessary for me to explain the implications of its being accepted as authorised text; if it becomes the authorised text, naturally Courts will have to look at it as the original Constitution itself; just as the original English, the same of original Hindi. This raised many doubts and the question is certainly not free from difficulty, while the view expressed by many Members is that it has been signed by Members of the Constituent Assembly—by all the Members I am told—it should be regarded not only as authorised translation but also as authorised text. Since there was difference of opinion as to the legal aspect of the matter, the Government referred the question to the Attorney General; it was a long time back. There is difference of opinion among Members of the House; many have met me; this was discused in the Hindi Advisory Committee and we took their views also. They recommended that it was not enough to take the opinion of the Attorney General; we took the opinion of another distinguished Member of the Bar and a third one has also been asked and we are waiting for

his answer. We have no prejudice one way or the other. But the question is whether we should accept that translation as authorised text, as authorised translation or not. We cannot place ourselves in an anomalous situation where the courts will say that this is not the text and we will not look at it. Therefore we want to be sure of it; there is no prejudice and there is no hesitation in considering that also.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: You have taken 22 years.

Erosion of Ganga in Murshidabad District Down-Stream Farakka Barrage

+

*7. SHRI TRIDIB CHAUDHURI.
DR. H. P. SHARMA:

Will the Minister of of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by Shri A.B.K. Ghani Chowdhury, Minister of Irrigation and Waterways, West Bengal to the Press in Calcutta on 27th January 1973 and published in all Calcutta papers on 28th January 1973 to the effect that the Central Government and the Farakka Barrage authorities were responsible for the prolonged neglect of the problem of erosion of Ganga in the Murshidabad District down-stream Farakka Barrage;

(b) whether the West Bengal Government has sent an S.O.S. to the Central Irrigation Ministry asking for an assistance of Rs. 1 crore 25 lakhs; and

(c) whether C.W.P.C. and Ganga Flood Commission have undertaken any investigation of the problem of erosion in this region on expert basis?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATON AND POWER (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c). Government's attention has been invited to the reported statement made by Shri Ghani Choudhury, Minister for Irrigation and Waterways, West Bengal and published in the Calcutta papers on 28th January 1973. It is not correct to say that the Central Government and the Farakka Barrage authorities are neglecting the problem of erosion of Ganga in Murshidabad District down stream of Farakka Barrage. Erosion of Ganga has been in existence for a number of years, even as far back as 1949, long before the construction of the Farakka Barrage Project was undertaken. In 1969 I inspected the erosion at Aurangabad and I suggested remedial measures to be undertaken. Subsequent to that, some protective works were carried out. Also the problem has been examined in great detail by the experts of the Central Water and Power Commission, Cenertal Water and Power Research Station, Poona and the River Research Institute, West Bengal, in December 1971 and suggestions made for the construction of spurs and permeable spurs.

The Technical Advisory Committee of the Farakka Barrage Project also inspected the site in October 1972 and suggested that the type of protection works to be carried out should be finalised by the Chief Engineer, Irrigation and Waterways West Bengal after discussion with the Director, Poona Research Station. The Chairman, Ganga Flood Control Commission also inspected the site in November 1972. Estimates for the protection works to be carried out have not been prepared and are awaited from the State Government.

The State Government has been requested to expedite the preparation of cost estimates. The West Bengal Government has made a request for Rs. one crore and twenty-five lakhs about three weeks back.